जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बागपत ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
कृषिकुल विद्यापीठ,जागोस,
पो0-बड़ौत (बागपत) ।

पत्रांक-शिविर/ 3379 /2001-2002 दिनांक: 17-1-02

विषय:- प्राइमरी स्तर की स्थायी मान्यता की स्वीकृति ।

महोदय,

जिला मान्यता समिति की बैठक दिनांक 16-01-2002 में लिय गये निर्णय के अनुसार आपके विद्यालय को जुलाई ,2001 से से प्राइमरी स्तर की कक्षा । से 5 तक की स्थायी मान्यता निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है ।

यदि आपके द्वारा विभागीय आदेशों का पालन नहीं किया गया या विद्यालय के प्रति कोई शिकायत प्राप्त होती है तो मान्यता समाप्त करने का अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को सुरक्षित होगा ।

1- समिति का विभाग द्वारा समयानुसार नवीनीकरण कराया जाये ।
2- छात्रों से विभाग द्वारा स्वीकृत निर्धारित शुल्क लिया जाये ।
3- विभाग द्वारा स्वीकृत पुस्तकें ही विद्यालय में पढ़ायी जायें ।
4- किसी भी प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं को बिना विभाग की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये न हटाया जायें ।
5- विद्यालय के विरुद्ध शिकायत होने पर तथा शिकायत सत्य पाये जाने पर मान्यता समाप्त कर दी जायेगी ।
6- शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों को एवं आश्रितों को नि:शुल्क परीक्षा प्रदान की जाये ।
7- विभागीय आदेशों का पालन किया जाये ।
8- अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं के स्थान पर प्रशिक्षित अध्यापक रखे जाये ।
9- विद्यालय का प्रगति प्रति वर्ष कार्यालय को भेजा कराई जाये ।
10- विद्यालय के अध्यापकों/अध्यापिकाओं/कर्मचारियों को परिषदीय अध्यापकों के समान वेतन दिया जाये ।
11- विद्यालय की भूमि एक वर्ष के भीतर विद्यालय के नाम करायें। अवदीय,

16/1/02

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बागपत ।

पृ0सं0 शिविर/ /2001-2002 तद दिनांक

प्रति, निम्नांकित सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- उप बेसिक शिक्षा अधिकारी,बागपत ।
2- नगर शिक्षा अधिकारी,बड़ौत ।
3- सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी,बड़ौत ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बागपत ।

रजिस्टर्ड

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,

माध्यमिक शिक्षा परिषद्,

क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ ।

सेवा में,

प्रबन्धक,

ऋषिकुल विद्यापीठ हाई स्कूल

जागोस, बागपत ।

पत्रांक : मा० शि० प०/मान्यता (मे०) 166 मेरठ : दिनांक 12-5-2003

विषय : इण्टर/हाई स्कूल (नवीन) की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की मान्यता समिति की संस्तुति पर सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदनोपरान्त शासन ने इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987 की धारा 7-क (क) के अन्तर्गत आपकी संस्था-ऋषिकुल-विद्यापीठ, हाई-स्कूल, --जागोस, बागपत को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2005 से निम्नलिखित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों सहित एक साथ (वनटाइम) वित्तविहीन मान्यता सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त विषयों सहित दिये जाने का आदेश प्रदान किया है :-

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) प्रबन्ध तंत्र कक्षा 9 की कक्षायें संचालित करने के पूर्व प्रशासन योजना, शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत करायें ।

(2) इस मान्यता पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् को 9वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाये अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी ।

(3) साज-सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय ।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से युक्त व्यक्तियों को अपने स्रोतों से व्यवस्था के लिए संस्था उत्तरदायी होगी ।

(5) विद्यालय की प्रशासनिक एवं शिक्षण की व्यवस्था संस्था द्वारा अपने स्रोतों से की जाय ।

(6) नवीन कक्षाएं संचालित करने के समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयं वहन करेंगे ।

(कृ० प० उ०)

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी ।

(ख) हाई स्कूल सीधे 9-10 के अतिरिक्त यदि कोई कक्षाएं संचालित की जाती हैं तो वह अवैध तथा अमान्य होंगी ।

टिप्पणी—इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6 (छः) माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा ।

भवदीय,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ ।

दिनांक 11.5.03

पृष्ठांकन सं० : मा० शि० प०/मान्यता (मे०)

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—जिला विद्यालय निरीक्षक; बागपत ।

2—संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक; मेरठ ।

3—हाई स्कूल परीक्षा अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ ।

4—सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद ।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ ।

रजिस्टर्ड

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।

सेवा में,

प्रबन्धक,

अखिल विद्यापीठ इण्टर कालेज,
जागौस, बागपत।

पत्र संख्या : आई० वी० मान्यता/ 1719 दिनांक 19-8-2004

विषय :– इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन/~~अतिरिक्त~~ वर्ग/विषय की मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन ने राजाज्ञा संख्या -3788/15-7-04-4(1073)/2004 दिनांक 21 जुलाई 2004 दिनांक---------- द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा-9(4) के अधीन आपके विद्यालय को बालक/~~बालिका~~ विद्यालय के रूप में परिषद् की वर्ष 2006 की इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/~~अतिरिक्त~~ वर्ग/विषयों में वित्तविहीन मान्यता इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987 की धारा 7-क (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम–1987 की धारा 7-क (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन/वर्ग/विषय की प्रदत्त मान्यता को 11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भूमि/भवन, पुस्तकालय, प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद् को अवगत करायें।

(2) इस मान्यता पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर संस्था द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् कार्यालय को 11वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाये, अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) मान्यता पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।

(4) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता पर ही प्रभावी होगा।

(5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षायें संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयं वहन करेंगे तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम-1987 की धारा 7-क (क) के समस्त प्रावधान यथावत् लागू होंगे।

कृ० प० उ०

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्थाधिकारी द्वारा मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना एवं प्रमाण मिथ्या या गलत पाया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय की प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थाधिकारी का होगा।

(ख) प्रबन्ध तंत्र इस आशय का पारित प्रस्ताव कि इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम–1987 की धारा 7-क (क) के प्रावधानों को बिना किसी शर्त के अंगीकार किया जाता है, तत्काल निरीक्षक के माध्यम से परिषद को दिया जाना अनिवार्य होगा। प्रस्ताव प्राप्त न होने की दशा में प्रदत्त मान्यता परिषद/शासन द्वारा प्रत्याहरित कर ली जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थाधिकारी का होगा।

(ग) वर्ष 2005 की परीक्षा का परीक्षाफल 45% से कम न हो।

(घ) 15000/=रु0 की धनराशि अतिरिक्त प्रतिभूत के रूप में विद्यालय के नाम जमा तथा निरीक्षक के पदनाम बन्धक कराकर जमा प्रमाणपत्र की प्रति निरीक्षक से प्रमाणित कराकर दिया जाय। यह धनराशि प्राभूत एवं सुरक्षित कोष के अतिरिक्त जमा किया जाएगा।

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टर/साहि0नवीन	हिन्दी	अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, भूगोल, नागरिकशास्त्र, इतिहास
इण्टर/वि0नवीन	हिन्दी	अंग्रेजी, गणित, भौतिकविज्ञान, रसायनविज्ञान, जीवविज्ञ
इण्टर/वाणि0नवीन	हिन्दी	अंग्रेजी, बहीखाता तथा लेखाशास्त्र, व्यापारिक संगठन(*)

टिप्पणी– उक्त पत्र में अंकित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6 (छः) माह के अन्दर किये जाने की आख्या एवं प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

(*) पत्रव्यवहार एवं बाजार विवरणी, गणित तथा प्रारम्भिक सांख्यिकी, अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य भूगोल

भवदीय,

(हस्ताक्षर)
क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।
13.8.04

पृष्ठांकन संख्या : आई०बी० मान्यता/ दिनांक 200

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– जिला विद्यालय निरीक्षक, ---बागपत---।

2– संभागीय मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, ---मेरठ---।

~~3– संभागीय उप शिक्षा निदेशक, ---।~~

3– इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुभाग को अभिलेख हेतु।

4– सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्यालय, इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।

पा०मु०य०पी० (आर०आर०) 143–मा० शि० प०–21-9-2002–10,000 प्रतिया (कम्प्यूटर/आफसैट)।

संख्या- [redacted] /15-7-04-4([redacted])/ [redacted]

प्रेषक,

शिव प्रकाश गुप्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक एवं सभापति,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

शिक्षा (7) अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 21 [redacted] 2004

विषय :- [redacted]

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 9(4) के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये [redacted] को यदि संबंधित विद्यालय का प्रबंधतंत्र प्रस्ताव पारित करके इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987 की धारा 7-कक के प्राविधानों को बिना किसी शर्त के अंगीकार करता हो तो [redacted]

2- उक्त मान्यता के सिलसिले में संदर्भगत विद्यालय में यदि किन्हीं प्रतिबंधों/शर्तों की पूर्ति अवशिष्ट हों तो एक वर्ष की अवधि के भीतर संस्थाधिकारियों को उन शर्तों/प्रतिबंधों की पूर्ति के निर्देश दे दिये जाँय । मान्यता पत्र निर्गत करने से पूर्व संस्था से वित्तविहीन मान्यता अंगीकार करने का शपथ पत्र एवं प्राभूत/सुरक्षित कोष पूर्ण होने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय ।

3- कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही शीघ्र सम्पादित की जाय।

भवदीय,

/

(शिव प्रकाश गुप्त)
संयुक्त सचिव ।

पृ०सं०- [redacted] (1)/15-7-04 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, इलाहाबाद ।
2- संयुक्त शिक्षा निदेशक (अर्थ) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, इला[redacted] ।
3- क्षेत्रीय सचिव, मा०शिक्षा परिषद, उ०प्र०, क्षेत्रीय कार्यालय,
4- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(शिव प्रकाश गुप्त)
संयुक्त सचिव ।